

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(11) राज/वाद/2024

जयपुर दिनांक 11/4/2025

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य की ओर से उद्भूत प्रकरणों को प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई तौर पर अग्रिम आदेशों तक के लिए **पैनल लॉयर** नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन क्रमांक
1	श्री कार्तिकेय अस्थाना	डी/1309/2016

1. उन्हें प्रारूपण फीस विभागीय आदेश क्रमांक प.9(4)राज/वाद/88 पार्ट दिनांक 05.06.2015 एवं विविध खर्चे विभागीय आदेश क्रमांक प.9(4)राज/वाद/88 पार्ट दिनांक 15.09.23 के अनुसार देय होंगे।
2. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों एवं आदेशों के अधीन होगी तथा इनकी सेवायें किसी भी समय बिना नोटिस दिये व बिना कारण बताये इस विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।
3. उपरोक्त पैनल लॉयर माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय, नई दिल्ली व दिल्ली स्थिति अन्य न्यायालयों, अधिकरण/प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत/पैरवी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
4. वह राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का परामर्श देने के लिए वर्जित होंगे।
5. उन्हें प्रकरणों का आवंटन विधि विभाग द्वारा किया जावेगा।


आज्ञा से,

ह.

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
9. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
10. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
11. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
14. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
15. निबंधक, राजरव मण्डल, अजमेर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. संबंधित अधिवक्ता।
18. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
19. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
20. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
21. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कराये जाने हेतु।
22. रक्षित पत्रावली।



(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि